<u>**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा**</u>
<u>**पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.**</u>

राजस्व आवेदन न0 **21/2023**

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :– हमीराराम पुत्र मंगलाराम, जाति मेगवाल, सा. हापानाडा सहित ग्राम हापानाडा, के खसरा संख्या 4, 13, 5, 10, 170/5, 210/12, 222/12, 8 व के समस्त खातेदारान ।

<u>**प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू–अभिलेख नियम 1970**</u>

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी :– पैरोकार सरकार
2. विप्रार्थीगण :– एकपक्षीय

आदेश

दिनांक :– 31.07.2023

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2006/पार्ट/14 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है के कमः मे प्रस्तुत कर ग्राम **हापाडाना, पटवार मंडल थूम्बली , भू.अ. निरीक्षक मण्डली , तहसील कल्याणपुर** में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) **प्रस्तावित रास्ता रोडवा खुर्द से हापानाडा पी.एम.आर.जी.वाई सडक से कलावानाडा सीमा तक चल रही ग्रेवल सडक/डामर सडक तक बारहमासी रास्ता चल रहा है ।**

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार..........

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बारहमासी रास्ता ग्राम **हापानाडा, पटवार मंडल थूम्बली , भू.अ. निरीक्षक मण्डली , तहसील कल्याणपुर** के खसरा संख्या 4, 13, 5, 10, 170/5, 210/12, 222/12, 8 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार **ग्राम रोडवा खुर्द से हापानाडा पी.एम.आर.जी.वाई सडक से कलावानाडा सीमा तक चल रहे** ग्रेवल सडक /डामर सडक / **बारहमासी रास्ता** को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थिनत रहे से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपुर की और से उपस्थित पैरोकार सरकार के निवेदन पर बहस सुनी गई । पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राजस्व ग्राम हापानाडा मे प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना से कलाबानाडा सीमा तक ग्रेवल सडक /डामर सडक / बारहमासी रास्ता है । किन्तु राजस्व रेकर्ड मे भूमी रास्ते के नाम से दर्ज नही है [illegible] से ग्राम पंचायत रोडवा कलां की ग्राम सभा दिनांक 26.01.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 के आवेदन पत्र मे वर्णित खसरान से दर्ज करने का प्रस्ताव सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया है । प्रकरण जनहित व आमजन से सम्बन्धित है । अतः परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने बहस पर मनन किया गया व पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है को रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है से सम्बन्धित होने व आमजन व जनहित सम्बन्धित होने से प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम **हापाडाना, पटवार मंडल थूम्बली , भू.अ. निरीक्षक मण्डली , तहसील कल्याणपुर** के खसरा संख्या 4, 13, 5, 10,, 170/5, 210/12, 222/12, 8 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /**बारहमासी** रास्ता **ग्राम रोडवा खुर्द से हापानाडा पी.एम.आर. जी.वाई सडक से कलावानाडा सीमा तक चल रहे को** प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार कल्याणपुर को दिये जाते है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर के द्वारा प्रस्तावित परिर्वतन खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट [illegible] निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा